संचिका संख्या–7/बजट–46–43/2025–26– 74 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–06/02/2026

विषयः– राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में अबतक लम्बित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000/–(रूपये पाँच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति ।

राज्य की जनता को मौलिक एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में जहाँ राज्य में मात्र 06 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सचालित थे, वहीं वर्त्तमान में 12 चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल संचालित है एवं 13 निर्माणाधीन है।

2– उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाना है कि स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (BMSICL) के द्वारा निर्माणाधीन 13 चिकित्सकीय संस्थानो का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से समय–समय पर गहन समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण एजेन्सी के द्वारा इस संदर्भ में अपने कार्यालय पत्रांक–9557, दिनांक–08.12.2025 के द्वारा विभाग को अगस्त से दिसम्बर माह तक के निर्माण कार्य संबधी लम्बित विपत्र (Pending Bill) के शीघ्र भुगतान हेतु रू० 1108.07 करोड की परियोजनावार सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसके विरूद्ध द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से इन परियोजनाओं के कुछ विपत्रो का अशत: भुगतान ही किया जा सका है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक परियोजनावार लबित विपत्रों की संख्या में अतिरिक्त अपेक्षित वृद्धि सम्भावित है।

3– ज्ञातव्य है कि तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि का भुगतान मार्च माह मे ही सभव हो पाता है। अतएव विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओ के लबित विपत्रो का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाना आवश्यक है ताकि परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित न हो। अतएव संबंधित परियोजनाओं के लबित विपत्रो के भुगतान किये जाने के उद्देश्य से रू० 5,00,00,00,000/– (रूपये पॉच अरब) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उदव्यय की मांग की गयी है।

4– इन लबित विपत्रो के भुगतान सबंधी कार्य हेतु व्यय का वहन बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निम्नवत विपत्र कोडो अन्तर्गत प्राप्त की गयी है –

क्रम स0	विपत्र कोड	बी0सी0एफ0 से अधियाचित राशि
1	20–4210030500103	175.00 Cr.
2	20–4210037890101	250.00 Cr.
3	20–4210011100111	75.00 Cr
	कुल	**500.00 Cr.**

5— उपरोक्त के आलोक में राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में अबतक लम्बित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000/—(रूपये पाँच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6— उक्त बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक—29.01.2026 .के मद संख्या—19 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृत है।

7— इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7/बजट—46—43/2025—26 के रूप पृ0—..13../टि0 में प्राप्त है।

8— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

9— यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश विपत्रवार अलग से निर्गत किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—7/बजट—46—43/2025—26 - 74 (7A) /स्वा०, पटना, दिनांक— 06/02/2026

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई—मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव